प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी पाली–द्वितीय।** थाना : **ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर** वर्ष ~~2021~~ 2022
प्र.इ.रि.सं. 11/22 दिनांक 14/1/22

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें. 7
(2) अधिनियम – धाराये –
(3) अधिनियम – धारायें –

(4) अन्य अधिनियम व धाराये –

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या 343 समय 5:00 P.M.

(ब) अपराध के घटने का दिन – गुरूवार दिनांक–13.01.2022 समयः– 4.24 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक –02.01.2021 समय.– 04.00 पीएम

4. सूचना किस्म :– लिखित।

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बरूख उत्तर पूर्व ब्यूरो चौकी पाली से करीब 260
(ब) पता :– एक्सईएन कार्यालय पीएचईडी खण्ड मकराना जिला नागौर
बीट सख्या – जरायमदेही सं. –
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना – जिला –

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री रेखा राम
(ब) पिता/पति का नाम :– मोहनराम
(स) जन्म तिथि....... 27 साल
(द) राष्टीयता,:– भारतीय
(द) पासपोर्ट सख्या – जारी होने की तिथि –

जारी होने की जगह –

(र) व्यवसाय :– प्राईवेट ठेकेदार
(ल) पता.:– ग्राम जूसरी तहसील मकराना जिला नागौर

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1. श्री सीताराम यादव पुत्र श्री रामनारायण यादव जाति अहीर उम्र 28 साल निवासी ग्राम डूंगरसी का बास तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर हाल सहायक अभियन्ता,जन स्वास्थ्य एंव अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड मकराना जिला नागौर

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :– शून्य

9. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :–

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं) (यदि कोई हो तो) :–

12. (प्र0सू0रि0 की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करे) :–

सेवामें

श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
पाली।

विषय– रिश्वत मांगने वाले के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मै रेखाराम पुत्र श्री मोहनराम निवासी जूसरी जिला नागौर निवेदन करता हूं कि मेरी एक फर्म मैसर्स बेनीवाल कॉन्ट्रेक्ट कम्पनी जूसरी जिला नागोर के नाम से पंजीकृत है। मेरे साथ ही मेरे जीजाजी श्री लिछमणराम भी अपनी फर्म मैसर्स लक्ष्मी ड्रीलिंग कम्पनी ग्राम देवरी तहसील मकराना के नाम से पंजीकृत है। हमारी दोनो फर्मो द्वारा पी.एच.ई. डी. मकराना के अधीन ठेके लेकर परित्यक्त/नकारा हेण्डपम्पो को मौके से हटाने, मकराना खण्ड ग्रामीण के अधीन विभागीय जल स्त्रोतो के पम्पसेट, केबल, जी.आई, असेम्बली, विभिन्न प्रकार की राईजिंग/वितरण पाईपलाईन के लीकेज/चैकिंग इत्यादि कार्य किये जाते है। हमारी दोनो फर्मो के नाम अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्की विभाग खण्ड मकराना के द्वारा निविदा जारी होने पर वर्ष 2020–21 में पी.एच.ई.डी. मकराना (ग्रामीण व सिटी) के सर्किल में करीब 10.00 लाख रूपयो के कार्यो के बिल तैयार कर श्री सीताराम ए.ई.एन. पी. एच.ई.डी. मकराना से प्रमाणित करवाकर भुगतान हेतु अग्रेषित करवाने बाबत् पेश करने पर श्री सीताराम यादव एईएन द्वारा बिल प्रमाणित कर अग्रेषित करने हेतु हमारी दोनो फर्मो से कमीशन के तौर पर 50,000–50,000 रूपये कुल 1.00 लाख रूपये की मांग की, तब हम दोनो द्वारा उक्त राशि बहुत बड़ी होने एवं उस समय उपलब्ध नहीं होने का निवेदन कर आईन्दा उक्त राशि शीघ्र देने हेतु उन्हे आश्वस्त करने पर श्री सीताराम यादव द्वारा हमारे उपरोक्त बिल प्रमाणित कर भुगतान की कार्यवाही हेतु एक्स.ई.एन. ऑफिस पी.एच.ई.डी. मकराना में प्रेषित किये। जिस पर हमारी फर्मो को भुगतान किया गया। तत्पश्चात् श्री सीताराम ए.ई.एन द्वारा हमारी फर्मो को भुगतान की गई राशि के कमीशन के तौर पर 1.00 लाख रूपये की बार–बार मांग की जाकर नये काम देने में रोड़ अटकाने लगा। आज से करीब 10–15 दिन पूर्व हम दोनो मेरे पेण्डिंग बिल प्रमाणित कर भुगतान हेतु अग्रेषित करने एवं नये कार्य दिलाने बाबत् श्री सीताराम यादव एईएन से मै तथा मेरे जीजाजी श्री लिछमणराम उनके कार्यालय में मिले तो उन्होने हमारे पूर्व के बिलो की कमीशन राशि 1.00 लाख रूपये की मांग की तथा उक्त रिश्वत राशि नहीं देने पर श्री सीताराम ए.ई.एन. द्वारा मेरी फर्म द्वारा किये गये कार्यो के बकाया बिल प्रमाणित कर भुगतान हेतु अग्रेषित नहीं किये जा रहे है एवं हमारी फर्मो को नये काम प्राप्त करने में भी रोड़े अटका रहा है। हम हमारे जायज काम की ऐवज में श्री सीताराम यादव ए.ई.एन. पी.एच.ई.डी. मकराना को रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये नहीं देकर उन्हे रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकड़वाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहते है। अतः कानूनी कार्यवाही करावे। भवदीय –एसडी– रेखाराम पुत्र श्री मोहनराम जाट निवासी : जूसरी तहसील मकराना, जिला नागौर। मो.नं. 85040–52833 मैसर्स– बेनीवाल कोन्ट्रेट कम्पनी : जूसरी लिछमणराम पुत्र श्री भागुराम जाट, निवासी : देवरी तहसील मकराना, जिला नागौर। मो.नं. 98285–05768 मैसर्स–: लक्ष्मी ड्रीलिंग कम्पनी : देवरी

कार्यवाही पुलिस

दिनांक : 02.01.2022 समय : 09:54 ए.एम पर परिवादी श्री रेखाराम नें अपने मोबाईल नं. 85040–52833 से मन् महिपाल उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9414577001 पर कॉल कर बताया कि मै ग्राम जूसरी तहसील मकराना जिला नागौर का रहने वाला हूं तथा मेरी एक फर्म मैसर्स बेनीवाल कॉन्ट्रेक्ट कम्पनी जूसरी व मेरे जीजाजी श्री लिछमणराम की फर्म मैसर्स लक्ष्मी ड्रीलिंग कम्पनी ग्राम देवरी तहसील मकराना के नाम से पंजीकृत है। हमारी दोनो फर्मो द्वारा पी.एच.ई.डी. मकराना के अधीन ठेके लेकर वर्ष 2020–21 में परित्यक्त/नकारा हेण्डपम्पो को मौके से हटाने, मकराना खण्ड ग्रामीण के अधीन विभागीय जल स्त्रोतो के पम्पसेट, केबल, जी.आई, असेम्बली, विभिन्न प्रकार की राईजिंग/वितरण पाईपलाईन के लीकेज/चैकिंग इत्यादि कार्य किये गये। उक्त कार्यो के करीब 10.00 लाख रूपयो के बिल तैयार कर श्री सीताराम ए.ई.एन. पी.एच.ई.डी. मकराना से प्रमाणित करवाकर भुगतान हेतु अग्रेषित करवाने बाबत् पेश करने पर श्री सीताराम यादव एईएन द्वारा बिल प्रमाणित कर अग्रेषित करने हेतु हमारी दोनो फर्मो से कमीशन के तौर पर 50,000–50,000 रूपये कुल 1.00 लाख रूपये की

मांग की, तब हम दोनो द्वारा उक्त राशि बहुत बड़ी होने एवं उस समय उपलब्ध नहीं होने का निवेदन कर आईन्दा उक्त राशि शीघ्र देने हेतु उन्हे आश्वस्त करने पर श्री सीताराम यादव द्वारा हमारे उपरोक्त बिल प्रमाणित कर भुगतान की कार्यवाही हेतु एक्स.ई.एन. ऑफिस पी.एच. ई.डी. मकराना में प्रेषित किये। जिस पर हमारी फर्मो को भुगतान किया गया। तत्पश्चात् श्री सीताराम यादव द्वारा हमे भुगतान की गई राशि करीब 10.00 लाख रूपये की कमीशन राशि 1.00 लाख रूपये की बार–बार मांग की जाती रही। आज से करीब 10–15 दिन पूर्व हम दोनो मेरे पेण्डिंग बिल प्रमाणित कर भुगतान हेतु अग्रेषित करने एवं नये कार्य दिलाने बाबत् श्री सीताराम यादव एईएन से उनके कार्यालय में मिले तो उन्होने हमारे पूर्व के बिलो की कमीशन राशि 1.00 लाख रूपये की मांग की तथा उक्त रिश्वत राशि नहीं देने पर श्री सीताराम ए.ई.एन. द्वारा मेरी फर्म द्वारा किये गये कार्यो के बकाया बिल प्रमाणित कर भुगतान हेतु अग्रेषित नहीं किये जा रहे है एवं हमारी फर्मो को नये काम देने में भी रोड़े अटका रहे है। हम हमारे जायज काम की ऐवज में श्री सीताराम यादव ए.ई.एन. पी.एच.ई.डी. मकराना को रिश्वत राशि 1.00 लाख रूपये नहीं देकर उन्हे रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकड़वाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहते है। जिस पर परिवादी को उक्त तथ्यो की शिकायत लेकर पाली स्थित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया गया, मगर परिवादी नें अपने घरेलू कार्य में व्यस्थता के कारण पाली स्थित कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थता जताते हुए अजमेर तक पहुंचने की बात कही गई। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत की गई कि आप दोनो अजमेर पहुंच मन् उप अधीक्षक पुलिस से उपरोक्त मोबाईल नम्बर पर संपर्क करे। साथ ही परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत की। 11:15 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस हमराह श्री सोहनलाल कानि. मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर ब्यूरो चौकी पाली से अजमेर के लिये जरिये निजी वाहन रवाना हुआ। समय : 04:00 **पी.एम** पर मन् उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा बस स्टेण्ड अजमेर पर पहुंचा तथा परिवादी के उपरोक्त मोबाईल नम्बर पर संपर्क कर उपस्थिति ज्ञात करने पर परिवादी श्री रेखाराम व उनके जीजाजी अजमेर बस स्टेण्ड पर ही उपस्थित होना बताया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी व उसके जीजा को अजमेर बस स्टेण्ड के पास में एकान्त स्थान नियत कर बुलाया गया। परिवादी व उसके साथ सह परिवादी उपस्थित आये। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उनको अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछने पर उन्होने अपना–अपना परिचय क्रमशः श्री रेखाराम पुत्र श्री मोहनराम जाट निवासी जूसरी तहसील मकराना जिला नागौर मैसर्स– बेनीवाल कोन्ट्रेट कम्पनी जूसरी एवं श्री लिछमणराम पुत्र श्री भागुराम जाट निवासी देवरी तहसील मकराना जिला नागौर मैसर्सः लक्ष्मी ड्रीलिंग कम्पनी देवरी के रूप में दिया। तत्पश्चात् परिवादी श्री रेखाराम नें एक टाईपशुदा रिपोर्ट स्वयं एवं उनके जीजाजी श्री लिछमणराम के संयुक्त हस्ताक्षरित मय अपना पहचान पत्र एवं भुगतान किये गये बिल एवं पेण्डिंग बिलो की प्रमाणित प्रतिया मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत की, जिसका अवलोकन करने पर परिवादी श्री रेखाराम द्वारा पूर्व में दूरभाष पर बताये तथ्य ही अंकित होना पाये गये। पूछने पर परिवादी श्री रेखाराम नें रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया। दरियाफ्त पर परिवादी नें उक्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्य ही बताते हुए बताया कि आरोपी श्री सीताराम यादव ए.ई.एन. द्वारा मेरे व मेरे जीजाजी श्री लिछमणराम की फर्मो द्वारा पी.एच.ई.डी. सर्किल मकराना में वर्ष 2020–21 में हेण्ड पम्प मरम्मत व पाईप लाईन लीकेज मरम्मत का कार्य तथा मोटर लोरिंग व अनलोरिंग कार्य कर करीब 10.00 लाख रूपये का बिल श्री सीताराम यादव ए.ई.एन. पीएचईडी मकराना से प्रमाणित करवाकर अग्रेषित करवाये जाकर भुगतान प्राप्त किया गया, जिसकी ऐवज में कमीशन के तौर पर श्री सीताराम द्वारा 1.00 लाख रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है तथा रिश्वत राशि नहीं देने पर मेरे पेण्डिंग बिल भुगतान हेतु प्रमाणित नहीं किये जाकर हमारी फर्मो को नये काम दिलवाने में रोड़े अटकाये जा रहे है। साथ ही बताया कि श्री सीताराम यादव ए.ई.एन. रिश्वत राशि के बारे में ज्यादातर वार्ता मेरे जीजाजी श्री लिछमणराम से ही करते है। वगैरा रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत राशि के परिपेक्ष्य में मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात दोनो परिवादीगणो एवं श्री सोहनलाल कानि. का आपस में परस्पर परिचय करवाया जाकर ब्यूरो चौकी से साथ लाये डिजीटल वॉयस रिकार्डर संचालन की प्रक्रिया दोनो परिवादीगणो एवं कानि. सोहनलाल को समझाई जाकर श्री सोहनलाल कानि. को मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर के आरोपी द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत के साथ दोनो परिवादीगणो के

साथ जरिये परिवादी के निजी वाहन से मकराना के लिये रवाना किया गया। तत्पचात् मन् उप अधीक्षक पुलिस ब्यूरो चौकी पाली के लिये रवाना हुआ। दिनांक : 03.01.2022 समय : 12:01 पी.एम पर परिवादीगणो के साथ गये श्री सोहनलाल कानि. नें अपने मोबाईल नं. 97997–56429 से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 94145–77001 पर कॉल कर बताया कि परिवादीगणो की आरोपी श्री सीताराम यादव से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के बारे मे वार्ता हो गयी है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कानि. सोहनलाल को परिवादीगणो से वार्ता करवाने हेतु निर्देशित करने पर श्री सोहनलाल कानि. नें अपने मोबाईल से ही मन् उप अधीक्षक पुलिस की वार्ता सहपरिवादी श्री लिछमणराम से करवायी तो सहपरिवादी श्री लिछमणराम नें बताया कि हम अजमेर से रवाना होकर वक्त करीब 09:00 पी. एम. पर मकराना पहुंचे तथा रात्री हो जाने के कारण हमने रात्री विश्राम परिवादी श्री रेखाराम के घर पर ही किया। आज दिनांक 03.01.2022 को हम दोनो एवं श्री सोहनलाल कानि. आरोपी के कार्यालय के पास पहुंचे, जहां पर श्री सोहनलाल कानि. नें मुझे आवश्यक समझाईश कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर मुझे सुपुर्द किया एवं आरोपी से रिश्वत राशि मांग सम्बंधी वार्ता करने हेतु मुझे व श्री रेखाराम को आरोपी के कार्यालय के लिये रवाना किया। जिस पर हम दोनो आरोपी के कार्यालय परिसर में पहुंचे, जहां पर अन्य व्यक्तियो के साथ ही आरोपी श्री सीताराम कार्यालय भवन के बाहर कुर्सी पर बैठा मिला, जिनसे हमने हमारे कार्य के बारे में वार्ता की तो आरोपी द्वारा हमसे 50,000–50,000 रूपये कुल 1.00 लाख रूपये की मांग की। तत्पश्चात् हमारे द्वारा बार–बार राशि कम करने की विनती करने पर आरोपी 45000–45000 रूपये कुल 90,000 रूपये लेने के लिये सहमत हुआ। साथ ही सहपरिवादी श्री लिछमणराम नें बताया कि आरोपी द्वारा मांगी गई राशि की व्यवस्था करनी है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री सोहनलाल कानि. को निर्देशित किया गया कि परिवादीगणो को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर दिनांक 04.01.2022 को प्रातः 11:00 एएम पर पाली स्थित कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखसत करे तथा श्री सोहनलाल कानि. को डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुरक्षित हालत में लेकर पाली पहुंचने की हिदायत दी गई। समय 09:00 पी.एम पर श्री सोहनलाल कानि. ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफशुदा सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार मै एवं दोनो परिवादीगण अजमेर से रवाना होकर रात्री 09:00 बजे मकराना पहुंचे तथा रात्री विश्राम परिवादी श्री रेखाराम के निवास पर किया। आज दिनांक 03.01.2022 को प्रातः 09:30 एएम पर परिवादी के घर से हमराह परिवादीगणो के उनके निजी वाहन से रवाना होकर आरोपी श्री सीताराम यादव के कार्यालय के पास पहुंचे, जहां पर परिवादीगणो को आवश्यक समझाईश कर साथ लाया डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सहपरिवादी श्री लिछमणराम को सुपुर्द किया एवं आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता करने हेतु दोनो पविादीगणो को आरोपी के कार्यालय के लिये रवाना किया तथा मैं वहीं आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादीगणो के वापस आने के इन्तजार में खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात् दोनो परिवादीगण मेरे पास उपस्थित आये। मैने सहपरिवादी श्री लिछमणराम से डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीचऑफ कर अपने पास रखा। साथ ही पूर्व में सहपरिवादी श्री लिछमणराम द्वारा दूरभाष पर बताये गये समस्त हालात बताये। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुरक्षित अपने कार्यालय कक्ष की की अलमारी में रखकर अलमारी को लॉक किया। दिनांक : 04.01.2022 समय : 11:00 ए.एम. पर परिवादीगण श्री रेखाराम एवं श्री लिछमणराम ब्यूरो चौकी पाली पर उपस्थित आये एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस से संपर्क किया। साथ ही बताया कि श्री सीताराम द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि 90,000 रूपये साथ लेकर आये है। जिस पर दोनो परिवादीगणो की उपस्थिति में मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखा डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकालकर ऑन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो सहपरिवादी श्री लिछमणराम द्वारा दूरभाष पर बताये गये तथ्यो की ताईद होकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि 90,000 रूपये की मांग करने तथा रिश्वत राशि आदान प्रदान एक–दो दिन में होना पाया गया। तत्पश्चात विकास अधिकारी पाली के नाम तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाहान बाबत् तलबी करवायी गई। पंचायत समिति पाली से तलबिदाशुदा दो कार्मिक उपस्थित आये एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस से संपर्क किया। दोनो कार्मिको को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उनका परिचय पूछने पर उन्होने अपना परिचय क्रमशः श्री पुखराज चौधरी पुत्र श्री चिमनाराम जाति सिरवी उम्र 42 वर्ष पेशा नौकरी निवासी मकान नं. 24ए, बसन्त विहार पाली हाल

कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत वडेरावास पंचायत समिति पाली जिला पाली एवं श्री दूदाराम पुत्र श्री कानाराम जाति गुर्जर उम्र 34 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम बागडिया पुलिस थाना रोहट जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत भांगेसर पंचायत समिति पाली जिला पाली के रूप में दिया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उपस्थित परिवादीगणो से उनका आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् परिवादीगणो द्वारा दिनांक 02.01.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट दोनो कार्मिको को सुनायी एवं पढायी गयी तथा परिवादीगणो एवं आरोपी के बीच वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन हुई वार्ता जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है, के मुख्य अंश दोनो कार्मिको को सुनाये गये। उक्त दोनो कार्मिको द्वारा परिवादीगणो की रिपोर्ट में अंकित तथ्यो एवं मांग सत्यापन के वक्त रिकार्ड की गई वार्ता से संतुष्ट होकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति प्रदान की गई। दोनो गवाहान नें परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपने–अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात परिवादीगणो व आरोपी श्री सीताराम यादव के मध्य दिनांक 03.01.2022 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान हुई डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्डशुदा वार्ता को उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीगणो की उपस्थिति में कम्प्युटर के माध्यम से सुन–सुनकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार की गयी। रिकार्ड वार्ता में आरोपी एवं परिवादीगणो की आवाज की पहचान दोनो परिवादीगणो ने की। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कम्प्युटर के माध्यम से दो सीडीयां तैयार की गई। एक सी.डी. को मूल मानते हुए सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली पर एवं फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दूसरी सी.डी. को डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया। उक्त दोनो सीडिया सुरक्षा की दृष्टि से मुझ उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं की अभिरक्षा में रखी। परिवादी श्री रेखाराम ने दोनों निष्पक्ष गवाहान की उपस्थिति में आरोपी श्री सीताराम यादव ए.ई.एन. को रिवश्त के रूप में दी जाने वाली राशि 2000–2000 रूपये के 45 नोट कुल 90,000 रूपये मुझ उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किये। परिवादी श्री रेखाराम द्वारा प्रस्तुत नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित कर श्री दयाल सिंह कानि. 326 से उक्त सभी नोटों पर हल्का–हल्का फिनॉफ्थिलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री रेखाराम की जामा तलाशी गवाह श्री पुखराम चौधरी से लिवाई जाकर रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 90,000 रूपये श्री दयाल सिंह कानि. के हाथ से परिवादी के पहनी हुई शर्ट की उपरी बांयी जेब में रखवाये गये तथा फिनॉफ्थिलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की क्रिया–प्रतिक्रिया के बारे में समझाईश कर दृष्टांत दिया गया। उक्त कार्यवाही का विस्तृत विवरण फर्द में अंकित किया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि व दृष्टान्त फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से मूर्तिब की गई। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें अपने हस्ताक्षर कर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गयी। समय : 08:15 पी.एम पर मन् महिपाल उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री पुखराज चौधरी व दूदाराम, परिवादी श्री रेखाराम, सह परिवादी श्री लिछमणराम, ब्यूरो जाब्ता के सदस्य श्री सीताराम बुनकर निरीक्षक पुलिस, रामकिशोर मुख्य आरक्षक नं. 56, सोहनलाल कानि. 497, दादूदान कानि. 481, पूनाराम कानि. 165, अभय कुमार एच.सी.एम.टी. 09 के जरिये विभागीय वाहन एवं परिवादी के निजी वाहन मय ट्रेप बॉक्स तथा विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, लेपटॉप मय प्रिन्टर सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु मकराना जिला नागोर के लिये रवाना हुऐ। रिश्वत राशि पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री दयाल सिंह कानि. को ब्यूरो चौकी कार्यालय पर छोड़ा गया। दिनांक : 05.01.2022 समय : 03:00 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा हमराहियान के मकराना से पहले एक ढाबे पर पहुंचे। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत की कि उनकी जेब में रखी रिश्वत राशि को हाथ नहीं लगाये तथा सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् समस्त हमराहियान नें गाड़ियो में ही विश्राम किया। प्रातः नित्यकार्य से निवृत होकर कार्यालय समय का इन्तार किया। 10:00 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त हमराहियान के जरिये सरकारी व परिवादी के निजी वाहन से कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड मकराना जिला नागोर के लिये रवाना हुऐ। समय : 10:30 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मकराना से पहले मंगलाना चौराहा पर पहुंचे, जहां पर परिवादीगणो द्वारा अपने स्तर पर आरोपी श्री सीताराम की उपस्थिति बाबत् जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये गये, मगर आरोपी श्री सीताराम की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त नही हुई। समय : 12:22 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी की उपस्थिति के बारे में

जानकारी करने हेतु सहपरिवादी श्री लिछमणराम के मोबाईल नं. 7976570006 का स्पीकर ऑन करवाकर आरोपी श्री सीताराम के मोबाईल नं. 8279108054 पर कॉल करवाया गया तो आरोपी नें कहा कि मैं साईड पर गया हुआ हूं, आप किशनजी से मिल लो, आपका काम हो जायेगा। उक्त वार्ता ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई। सह परिवादी द्वारा पूछने पर भी आरोपी सीताराम द्वारा अपनी उपस्थिति के स्थान के बारे में नहीं बताया। सह परिवादी नें मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी जिस किशनजी का नाम ले रहा है, उन्हे मैं व रेखाराम दोनो जानते है, जो अधिशाषी अभियंता कार्यालय मकराना में बाबू है। जिस पर आरोपी श्री सीताराम यादव की उपस्थिति बाबत् गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, मगर आरोपी की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं एवं हमराहियान की उपस्थिति छुपाते हुए आरोपी के टेलिफोन आने एवं उसके कार्यालय में उपस्थित होने का इन्तजार किया गया। समय : 04:22 पी.एम पर आरोपी श्री सीताराम के मोबाईल नं. 8279108054 से सहपरिवादी श्री लिछमणराम के मोबाईल नं. 7976570006 पर दो बार रिंगटोन आकर मिक्स कॉल होने पर सह परिवादी श्री लिछमणराम के उक्त मोबाईल का स्पीकार ऑन करवाकर आरोपी के उक्त मोबाईल नम्बर पर वार्ता करवायी गई तो आरोपी नें बताया कि आप किशनजी से मिल लिये क्या। तब सहपरिवादी नें बारिश का हवाला देकर नहीं मिलने की बात कही तथा उनकी उपस्थिति के बारे में पूछा तो आरोपी नें कहा कि मैं आ गया हूं तथा मै घण्टे भर मे ऑफिस पहुंच रहा हूं। जिस पर सहपरिवादी नें कहा कि आप कार्यालय पहुंचकर मुझे कॉल करना मैं उपस्थित हो जाउंगा। उक्त वार्ता ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के आरोपी के कॉल के इन्तजार में व्यस्त हुऐ। समय : 05:40 पी.एम पर आरोपी श्री सीताराम का सहपरिवादी के मोबाईल पर कॉल नहीं आने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सहपरिवादी के उक्त मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर आरोपी के उपरोक्त मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाया जाकर आरोपी की उपस्थिति के बारे में पूछा तो आरोपी नें 10 मीनिट रूकने का कहा। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी के कॉल का इन्तजार किया गया। समय : 06:25 पी.एम पर आरोपी श्री सीताराम के मोबाईल नं. 8279108054 से सहपरिवादी श्री लिछमणराम के मोबाईल नं. 7976570006 पर कॉल आया। जिस पर सहपरिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर कॉल रिसिव करवाया गया तो आरोपी नें सहपरिवादी की उपस्थिति के बारे में पूछकर कहा कि मैं आज परबतसर ऐ.ई.एन साहब के साथ बाहर हूं, आपसे जो वार्ता हुई है उस क्रम में आपकी एम.बी. वगैरह, बिल व उनके साथ किशन जी को दे दो। सह परिवादी द्वारा मिलने का आग्रह करने पर भी मिलने से मना करते हुए आरोपी द्वारा दुबारा उक्त सभी किशनजी को देने का ही कहा गया। उक्त वार्ता को भी डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया। तत्पश्चात् बरसात आदि होने के कारण मौसम खराब होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही दिनांक 06.01.2022 को करने का निर्णय लिया जाकर गोपनीय होटल पहुंचकर परिवादी श्री रेखाराम के पहनी हुई शर्ट की उपरी बांयी जेब में रखवायी गई रिश्वत राशि को ब्यूरो के कानि. श्री दादूदान से निकलवायी जाकर एक सफैद लिफाफे मे डलवाकर आवश्यक हिदायत के साथ श्री दादूदान कानि0 के पास ही सुरक्षित रखवाया गया। समय : 07:15 पी. एम पर होटल के कमरे में निष्पक्ष गवाहान एवं परिवादीगणो की उपस्थिति में सह परिवादी श्री लिछमणराम एवं आरोपी श्री सीताराम के मध्य दिनांक 05.01.2022 को समय–समय पर हुई मोबाईल वार्ताऐ जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड थी, को सुन–सुनकर शब्द–ब–शब्द लेपटॉप के माध्यम से फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट रिश्वत राशि लेन–देन से पूर्व तैयार की गयी। आरोपी एवं सह परिवादी की आवाज की पहचान सहपरिवादी श्री लिछमणराम ने की। उक्त वार्ताओ की लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयां तैयार की गई। एक सी.डी. को मूल मानते हुए सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली पर एवं फर्द पर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दूसरी सी.डी. को डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया। उक्त दोनो सीडिया मन् उप अधीक्षक पुलिस नें अपनी अभिरक्षा में रखी। तत्पश्चात् रात्री विश्राम किया। दिनांक : 06.01.2022 समय : 10:30 ए.एम पर परिवादीगणो को आरोपी की उपस्थिति की जानकारी करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर परिवादीगणो द्वारा अपने स्त्रोतो से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, मगर आरोपी की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात् आरोपी सीताराम के फोन व उपस्थित आने का इन्तजार किया गया। समय : 02:00 पी.एम तक आरोपी लोकेशन की जानकारी नही होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आईन्दा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो

परिवादीगणो को हिदायत की कि अगर आरोपी का आपके पास कॉल आ जाये और रिश्वत राशि लेकर आपको बुलावे तो तुरन्त मन् उप अधीक्षक पुलिस से संपर्क कर बतावे आदि, गोपनीयता की हिदायत के साथ दोनो परिवदीगणो को रूखसत किया गया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो दल, ट्रेप सामग्री मय रिश्वत राशि का लिफाफा एवं उपकरणो के जरिये सरकारी वाहन के ब्यूरो चौकी पाली के लिये रवाना हुआ। समय : 08:00 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ब्यूरो चौकी पाली–द्वितीय पर पहुंचा। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस की अभिरक्षा में अपनी कार्यालय की अलमारी में रखी दिनांक 04.01.2022 को तैयारशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की एक शिल्डशुदा मूल सी.डी. मय एक डब सी.डी खुली हालत में बाहर निकालकर तथा रिश्वत राशि लेन–देन से पूर्व आरोपी एवं सह परिवादी श्री लिछमणराम के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ताओ की दिनांक 05.01.2022 को तैयारशुदा एक शिल्डशुदा मूल सी.डी. मय एक डब सीडी खुली हालत में माफिक फर्दात के श्री रामकिशोर मुख्य आरक्षक नं. 56 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवायी गई। रिश्वत राशि का लिफाफा भी मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान को प्रकरण में गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत देते हुए निर्देशित किया गया कि आईन्दा तलब करने पर अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आवे। तत्पश्चात् दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। दिनांक 12.01.2022 समय : 11.10 ए.एम. पर सह परिवादी श्री लिछमण राम ने जरिये मोबाईल फोन मन् उप अधीक्षक को अवगत करवाया एएईन सीताराम का अभी थोडी देर पहले मेरे पास पुनः फोन आया तथा एईएन साहब ने मुझे कल दिनांक 13.01.2022 को बुलाया है तथा दूसरी बार पुनः कर कहा कि रेखाराम जी आज मकराना हो तो उन्हे मेरे पास भेज दो जिस पर मैने उन्हे कहा कि कागज व पैसे मेरे पास है तथा मै बाहर हूं मै कल मिलने की कोशीश करूंगा नही तो फिर सोमवार को मिलूंगा। सहपरिवादी ने कहा कि कल एएईन साहब को रिश्वत दी जाकर आगे की कार्यवाही की जा सकती है। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह कल सुबह करीब साढे दस बजे मकराना से अजमेर जाने वाली रोड पर रेखाराम के साथ मे मिले। समय : 01.00 पीएम. पर स्वतन्त्र गवाहो की जरिये मोबाईल तलबी की जाकर उन्हे कल प्रातः 6 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया जाकर रूखसत किया गया तथा समस्त जाब्ता को भी कल सुबह 6:00 बजे कार्यालय मे उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 13.01.2022– समय 06.15 पीएम– पर पूर्व के पाबन्दशुदा गवाह कार्यालय मे उपस्थित आने पर समय 06.15 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस,मय स्वतन्त्र गवाहान श्री पुखराज चौधरी, श्री दूदाराम, मय स्टॉफ श्री सीताराम बुनकर निरीक्षक पुलिस, श्री रामकिशोर हैड कानि नम्बर 56, श्री दादूदान कानि0, श्री दयाल सिंह कानि0, मय ट्रेप बॉक्स व मालखाना मे सुरक्षित रखा रिश्वत राशि का लिफाफा श्री दादूदान से निकलवाया जाकर श्री दादूदान कानि के पास ही सुरक्षित रखवाया गया तत्पश्चात कार्यालय के लैपटॉप प्रिन्टर आदि ट्रेप सामग्री साथ लेकर मय सरकारी/प्राईवेट वाहन के वास्ते ट्रेप कार्यवाही मकराना जिला नगौर के लिये रवाना हुआ। समय 11.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के तहसील मकराना जिला नागौर से कुछ पहले जंहा अजमेर की तरफ परिवादी श्री रेखाराम व सहपरिवादी श्री लिछमण राम अपनी अपनी मोटरसाईकिल सहित उपस्थित मिले। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वाहनो को रोड के साईड मे खडा करवाया गया। परिवादीगणो से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। तत्पश्चात श्री दादूदान कानि0 के पास रखा हुआ रिश्वत राशि का लिफाफा मे से रिश्वत राशि निकलवाई गई व नोटो का मिलान पूर्व की फर्द से गवाहान से करवाया गया तो दो–दो हजार रूपये के 45 नोट कुल 90000 रूपये होकर नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी मे अकिंत नम्बरो से हुबहु होना गवाहान द्वारा बताया गया। उक्त नोट दादूदान से ही परिवादी श्री रेखाराम के पहने हुये शर्ट की उपर की बांयी जेब मे रखवाये गये। तत्पश्चात कानि0 श्री दादूदान एवं समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाये जाकर कानि0 श्री दादूादान को हिदायत दी गई कि जब तक आरोपी के हाथ धोवण की कार्यवाही पूर्ण नही हो जाती ट्रेप कार्यवाही से पृथक रहे। समय 11.46 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सहपरिवादी श्री लिछमण राम के मोबाईल नम्बर 7976570006 से आरोपी श्री सीताराम के मोबाईल नम्बर 8279108054 पर वार्ता करवाई गई तथा मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता को ब्यूरो के वायॅस रिकार्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता मे आरोपी द्वारा आधे घण्टे बाद कार्यालय पहुंचकर पुनः फोन करने का कहा गया। जिस पर परिवादी रेखाराम व सहपरिवादी श्री लिछमण राम को आवश्यक हिदायत देकर उनके साथ श्री सीताराम निरीक्षक पुलिस मय वायॅस रिकॉर्डर व दयाल सिंह कानि0 को परिवादीगणो की

मोटर साईकिल से कार्यालय सहायक अभियन्ता पीएचईडी खण्ड मकराना जिला नागौर रवाना कर हिदायत दी गई कि कार्यालय से कुछ दूरी पहले एकान्त मे रूककर आरोपी के मोबाईल फोन आने का इन्तजार करें तथा वार्ता अनुसार जरिये मोबाईल मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करावे। उनके पीछे पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय शेष हमराहीयान के मकराना की तरफ सरकारी/प्राईवेट वाहन से रवाना हुआ। समय 12.10 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पीएचईडी कार्यालय के कुछ दूरी पूर्व एकान्त में परिवादी व सहपरिवादी से कुछ दूरी पर पहुंच अपनी अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम रहे। समय 3.57 पीएम पर सहपरवादी ने जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि अभी अभी एईएन साहब का मेरे मोबाईल फोन पर फोन आया तथा ने हमें एईएन साहब ने अपने कार्यालय मे बुलाया है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा निरीक्षक पुलिस को आवश्यक हिदायत दी गई कि परिवादीगण को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर ऑन कर सूपूर्द करें एवं आवश्यक हिदायत के साथ रिश्वत राशि देने हेतु एईएन कार्यालय रवाना करे तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के वाहनो से एईएन कार्यालय पीएचईडी खण्ड मकराना रवाना होकर पीएचईडी कार्यालय के बाहर की तरफ पहुंचे परिवादी व सहपरिवादी एईएन कार्यालय के अन्दर की तरफ जाते हुये नजर आये मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के परिवादी के ईशारे के इन्तजार मे एईएन कार्यालय के बाहर की तरफ मुकीम हुआ। कुछ समय पश्चात परिवादी एवं सहपरिवादी बिना कोई ईशारा किये एईएन कार्यालय के बाहर की तरफ आये। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जरिये फोन सहपरिवादी लिछमणराम से पूछा गया कि क्या हुआ तब सहपरिवादी ने बताया कि आरोपी सीताराम कार्यालय में उपस्थित नही है। जिस पर सहपरिवादी को निर्देशित किया गया कि आरोपी को फोन कर उसकी उपस्थिती के बारे में पता करें। समय 4.17 पीएम पर सहपरिवादी लिछमणराम ने जरिये मोबाईल फोन बताया कि एईएन साहब एक्सईन कार्यालय मे बैठे है तथा हमे भी वंही बुलाया है हम एक्सईएन ऑफिस जा रहे है। जिस पर मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के पीछे पीछे ही एक्सईएन कार्यालय की तरफ रवाना होकर एक्सईएन कार्यालय के पास पहुंचे परिवादी व सहपरिवादी कार्यालय के अन्दर की तरफ निरीक्षक पुलिस व कानि0 श्री दयाल सिंह को कार्यालय के बाहर की तरफ मोटर साईकिल से उतार कर जाते हुये नजर आये। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एक्सईएन कार्यालय पीएचईडी मकाराना के बाहर की तरफ परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकीम हुआ। समयः–04.24 पीएम पर परिवादी श्री रेखाराम नें अधिशाषी अभियंता पी.एच.ई.डी.खण्ड मकराना के कार्यालय से पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल फोन नम्बर 85040–52833 से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 88755–76000 पर कॉल कर किया एवं बताया कि रिश्वत राशि का आदान–प्रदान हो गया है। जिस पर मन् महिपाल उप अधीक्षक पुलिस मय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के अधिशाषी अभियंता पी.एच.ई.डी मकराना के कार्यालय में पहुंचा, जहां पर लेखा शाखा कक्ष के सामने परिवादी श्री रेखाराम उपस्थित मिला, जिसको साथ लेकर लेखा शाखा कक्ष में पहुंचकर परिवादी श्री रेखाराम को दिया गया डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। जहां पर सह परिवादी श्री लिछमणराम लेखा शाखा कक्ष में बेंच पर बैठा सामने रखी टेबल व कुर्सी पर बेठे एक व्यक्ति से बाते कर रहा था। परिवादी श्री रेखाराम नें टेबल–कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यही श्री सीताराम यादव सहायक अभियंता है, जिन्होने मेरे व मेरे जीजाजी श्री लिछमणराम द्वारा मकराना खण्ड के अधीन किये गये कार्यो के बिलो का भुगतान कर कमीशन के तौर पर तय की गई रिश्वत राशि 90,000 रूपये एवं पेण्डिंग बिलो की प्रतियां अभी–अभी अपने अपने हाथ में पकड़े पॉलीबैग जिस पर परमेश्वरी गारमेन्ट्स लिखा हुआ है, के अन्दर रखने का कहा। जिस पर मैंने उनके कहेनुसार उक्त राशि श्री सीताराम के हाथ में लिये गये पॉलीबैग में रखे। श्री रेखाराम नें बताया कि श्री सीताराम यादव नें रिश्वत राशि रखे पॉलीबेग को उनके ड्राईवर को संभलाने का कहा। जिस पर मेरे द्वारा बाहर जाकर आपको पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा कर बाहर ड्राईवर नहीं मिलने का कहकर उक्त रिश्वत राशि रखा पॉलीबेग पुनः श्री सीताराम सहायक अभियंता को संभलाया। आरोपी द्वारा राशि पुरी होने का पूछने पर सह परिवादी लिछमणराम द्वारा कहा गया कि आपको विश्वास नहीं है तो राशि गिन लो, मगर आरोपी श्री सीताराम यादव द्वारा शातीराना अंदाज में रिश्वत राशि के हाथ नहीं लगाकर अपने हाथो में रखे पॉलीबैग में रखवायी है। जिस पर परिवादी व सह परिवादी के सामने कुर्सी–टेबल पर बैठे व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान का परिचय देकर उनसे उसका परिचय पूछा तो उस व्यक्ति नें अपना

नाम श्री सीताराम यादव पुत्र श्री रामनारायण जाति अहीर उम्र 28 वर्ष पेशा नौकरी निवासी डुंगरसी का बास तहसील व पुलिस थाना किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर हाल निवासी : क्वाटर नं. 02 पी.एच.ई.डी. कॉलोनी खनिज विभाग कार्यालय के सामने मकराणा जिला नागौर, हाल सहायक अभियंता पी.एच.ई.डी. खण्ड मकराना जिला नागौर होना बताया।

मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री रेखाराम एवं सह परिवादी श्री लिछमणराम की और ईशारा कर उन्हे पहचानने एवं उनसे किसी प्रकार की राशि व दस्तावेज पॉलीबैग में रखवाने के बारे में पूछा गया तो आरोपी श्री सीताराम यादव द्वारा कहा गया कि मैं इन्हे जानता हूं, ये श्री रेखाराम एवं लिछमणराम है, जिन्होने वर्ष 2020–2021 में पी.एच.ई. डी. मकराना खण्ड के अधीन ठेकेदारी का काम किया था। जिस पर आरोपी श्री सीताराम यादव से परिवादी से मांगकर अपने हाथो में रखे पॉलीबैग में रिश्वत राशि रखवाने के बारे में पूछा गया तो श्री सीताराम यादव सहायक अभियंता नें कहा कि मैंने किसी प्रकार की राशि और दस्तावेज नहीं रखवाये है। जिस पर पास ही खड़े परिवादी श्री रेखाराम व सह परिवादी श्री लिछमणराम नें संयुक्त रूप से आरोपी के उक्त कथन का खण्डन करते हुए बताया कि श्री सीताराम यादव सहायक अभियंता झूठ बोल रहे है। इन्होने हमारी फर्मे क्रमशः मैसर्स बेनीवाल कॉन्ट्रेक्ट कम्पनी जूसरी जिला नागोर एवं मैसर्स लक्ष्मी ड्रीलिंग कम्पनी ग्राम देवरी तहसील मकराना द्वारा पी.एच.ई.डी. खण्ड मकराना के अधीन परित्यक्त/नकारा हेण्डपम्पो को मौके से हटाने, मकराना खण्ड ग्रामीण के अधीन विभागीय जल स्त्रोतो के पम्पसेट, केबल, जी. आई. इयादि अनलोरिंग व लोरिंग का कार्य तथा विभिन्न प्रकार की राईजिंग/वितरण पाईपलाईन की लीकेज/चौकिंग का कार्य वर्ष 2020–2021 में किया जाकर भुगतान हेतु बिल राशि करीब 10.00 लाख रूपये के श्री सीताराम यादव सहायक अभियंता के समक्ष प्रमाणिकरण कर भुगतान कराने हेतु पेश करने पर 10 प्रतिशत कमीशन के तौर पर बतौर रिश्वत 1.00 लाख रूपये की बार–बार मांग की थी। आज से करीब 10–15 रोज पूर्व मैं व मेरे जीजाजी श्री लिछमणराम, मेरे पेण्डिंग बिल प्रमाणित कर भुगतान हेतु अग्रेषित करने बाबत् श्री सीताराम यादव से मिलने पर श्री सीताराम यादव ए.ई.एन. द्वारा हमारी फर्मो को पूर्व में किये गये बिलो के भुगतान की 10 प्रतिशत कमीशन की राशि बतौर रिश्वत 1.00 लाख रूपये की मांग की गई एवं बिलो की प्रतिया व एम.बी. यह कहते हुए पुनः लौटायी गई कि मेरा अगला कमीशन भुगतान करने पर ही इन बिलो के बारे में बात करूंगा। वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 03.01.2022 को आरोपी से मै व लिछमणराम पुनः मिलकर उक्त राशि अधिक होने व राशि कम करने की विनती करने पर आरोपी द्वारा पहले 50,000–50,000 रूपये की मांग की तथा फिर 45,000–45000 रूपये के हिसाब से 90,000 रूपये लेने हेतु सहमत होकर आज दिनांक 13.01.2022 को रिश्वत राशि मांगकर अपने हाथो में रखे पॉलीबैग में रखवाये है। आरोपी से रिश्वत राशि के बारे में पुनः पूछने पर आरोपी निरूत्तर रहा। जिस पर गवाह श्री पुखराज चौधरी से उक्त पॉलीबैग की तलाशी लिवायी गई तो उसके अन्दर 2000–2000 रूपये के नोटो की गड्डी मिली। उक्त गड्डी के नोटो को गवाह श्री दूदाराम से गिनवाने पर 2000–2000 रूपये के 45 नोट कुल 90,000 रूपये होना पाये गये। गवाह श्री पुखराज चौधरी को इस प्रकरण से सम्बंधित फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि देकर उक्त सभी नोटो के नम्बरो का मिलान करवाया गया तो बरामद हुऐ सभी नोटो के नम्बर हुबहु होना पाये गये, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6 AA 576986
2	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6 DK 455087
3	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9 HC 203561
4	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1 MU 617994
5	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6 BT 408136
6	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7 AR 242095
7	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0 BE 093769
8	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9 FL 748038
9	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7 FR 443095

10	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1 GA 277043
11	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4 DR 049221
12	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5DQ 087804
13	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2 EF 271291
14	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5 HR 323666
15	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7 LC 855908
16	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0 DV 348402
17	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6 EK 739033
18	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9 AF 332966
19	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2 AM 909241
20	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9 FS 655113
21	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0 BP 266298
22	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9 GK 181993
23	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5 AR 342033
24	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3 BH 367266
25	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8 GW 140150
26	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4 KR 221144
27	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7 KP 731705
28	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0 LQ 344131
29	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7 FB 466676
30	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6 FA 644664
31	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9 FA 169962
32	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8 GF 102652
33	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9 HA 877157
34	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9 GC 686121
35	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4 FL 819891
36	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2 CK 364243
37	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4 DV 288722
38	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8 CC 317228
39	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7 AL 198564
40	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9 HA 297653
41	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9 FK 694518
42	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5 FG 568411
43	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3 GU 703102
44	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3 DK 124062
45	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4 KH 342614

उक्त बरामदा रिश्वत राशि 90,000 रूपये एक सफेद कपडे की थैली में डालकर शिल मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें अपने हस्ताक्षर कर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत तहवील एसीबी लिये गये। उक्त पॉलीबैग में रिश्वत राशि के साथ ही रखे परिवादी श्री रेखाराम के पेण्डिंग बिल की प्रतियां एवं माप पुस्तिका सं. 1054/2020–21 ए.ई.एन. पी.एच.ई.डी. को बाहर निकलवाया गया। तत्पश्चात् उक्त पॉली बैग को उल्टा कर कर बॉल पेन से मार्क किया गया इसके बाद कांच की एक साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। तत्पश्चात ट्रेपबॉक्स से एक साफ कॉटन का टुकड़ा निकलवाया जाकर उक्त रंगहीन घोल में डुबोकर उक्त कॉटन के टुकड़े को रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पॉलीबेग के मार्किंग स्थल पर दो–तीन बार रगड कर पुनः रंगहीन घोल में डुबोने पर उक्त रंगहीन घोल का रंग परिवर्तित

होकर हल्का झांईनुमा गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपो पर मार्क पी–1 एवं पी–2 अंकित कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें अपने हस्ताक्षर कर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये। उक्त पॉलीबैग के धोवन लेने हेतु प्रयुक्त उक्त कॉटन के टुकड़े को भी एक कपडे की थैली में सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वास्ते वजह सबूत तहवील ए.सी.बी. लिया गया। उक्त पॉलीबैग जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, के अन्दर की तरफ सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पॉलीबेग को भी एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त बेग को भी वास्ते वजह सबूत तहवील ए.सी.बी. लिया गया।

तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त पॉलीबैग में रिश्वत राशि के साथ ही मिले परिवादी की फर्म बेनीवाल कोन्ट्रक्ट कम्पनी जूसरी के बिल राशि 1,26,000 + 20,000 + 14,000 कुल 1,60,000 रूपये तथा माप पुस्तिका सं. 1054/2020–21 जिस पर ए.ई.एन. पी.एच.ई.डी. सब डिवीजन मकराना लिखा हुआ है। उक्त माप पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 01 से 100 तक अंकित होकर पृष्ठ सं. 11 तक इन्द्राज किया हुआ है तथा शेष खाली है। उक्त बिलो की प्रतियां एवं मूल माप पुस्तिका की परिवादी के पेण्डिंग कार्य सम्पन्न करने में आवश्यकता होने के कारण अधिशाषी अभियंता खण्ड मकराना जिला नागोर को संभलायी जाकर इनकी प्रमाणित प्रतियो के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. ली गई।

तत्पश्चात् आरोपी श्री सीताराम यादव की जामा तलाशी गवाह श्री पुखराम चौधरी से लिवायी गई तो उसके पास एक रियलमी कम्पनी का ड्यूल सिम मोबाईल फोन मिला, जिसमें दो सिम कार्ड क्रमशः 8279108054 (बी.एस.एन.एल.) एवं 98283–35334 (जियो) होना पाये गये। आरोपी के शर्ट की जेब से राशि 1480 रूपये नकद मिले। उक्त नकद राशि 1480 रूपये के बारे में आरोपी श्री सीताराम यादव से पूछने पर उन्होने अपने खर्चे की राशि होना बताया। आरोपी का जवाब संतोषप्रद होने से उक्त नकद राशि 1480 रूपये पुनः आरोपी को लौटाये गये। आरोपी की जामा तलाशी में मिला उक्त मोबाईल प्रकरण में वांछित होने के कारण जब्त ए.सी.बी. किया गया। समय 07.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की निशादेही से स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण एंव नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। दिनांक 13.01.2022 समय 07.45 पीएम पर आरोपी श्री सीताराम यादव को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। दिनांक 13.01.2022 समय 09.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस बाद समस्त कार्यवाही के मय हमराहीयान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी मय जब्तशुदा आर्टिकल्स के अजमेर के लिये रवाना हुआ तथा परिवादी व सहपरिवादी को कल सुबह 8 बजे एसीबी कार्यालय अजमेर पर उपस्थित होने की हिदायत कर मकराना मे छोडा गया। दिनांक 14.01.2022 समय 12.23 एएम इस समय मन उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर पहुंचा। जहां जरिये तहरीर गिरफतार शुदा मुल्जिम को थाने की हवालात में सुपुर्द जमा करवाकर प्राप्ति प्राप्त की गई तथा बाद रात्रि विश्राम किया गया। दिनांक 14.01.2022 समय 10.05 एएम इस समय मन उप अधीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के एसीबी कार्यालय अजमेर पहुंचा तथा मुल्जिम श्री सीताराम यादव का मेडिकल मुआयना एवं आरटीपीसीआर करवाने हेतु चिकित्सा अधिकारी अजमेर के नाम तहरीर जारी कर श्री सीताराम बुनकर निरीक्षक पुलिस मय जाप्ता के आरोपी के मेडिकल व आरपीटीसीआर जांच करवाने हेतु पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर के लिए रवाना किया गया। दिनांक 14.01.2022 समय 12.05 पीएम इस समय पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री रेखाराम व सहपरिवादी श्री लिछमणराम उपस्थित आये एवं मन उप अधीक्षक पुलिस से सम्पर्क किया। दिनांक 14.01.2022 समय 12.45 पीएम इस समय उपस्थित परिवादी श्री रेखाराम व सहपरिवादी श्री लिछमणराम एवं रूबरू मोतबिरान एवं आरोपी सीताराम यादव एईएन के मध्य दिनांक 13.01.2022 को वक्त लेनदेन से पूर्व हुई मोबाईल

वार्ता एवं परिवादी रेखाराम सहपरिवादी लिछमणराम एवं आरोपी सीताराम यादव के मध्य वक्त लेनदेन के हुई रूबरू वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को सुन सुन कर समझ समझ कर कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट लेनदेन से पूर्व की हुई वार्ता एवं वक्त लेनदेन वार्ता मुर्तिब की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये

इस प्रकार संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से परिवादी श्री रेखाराम पुत्र श्री मोहनराम जाट निवासी : जूसरी तहसील मकराना, जिला नागौर व सहपरिवादी श्री लिछमणराम पुत्र श्री भागुराम जाट, निवासी : देवरी तहसील मकराना, जिला नागौर की फर्मे क्रमशः मैसर्स बेनीवाल कॉन्ट्रेक्ट कम्पनी जूसरी व मैसर्स लक्ष्मी डिलींग कम्पनी ग्राम देवरी तहसील मकराना द्वारा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी खण्ड मकराना के अधीन ठेके लेकर परित्यक्त/नकारा हेण्डपम्पो को मौके से हटाने, मकराना खण्ड ग्रामीण के अधीन विभागीय जल स्त्रोतो के पम्पसेट, केबल, जी. आई, असेम्बली, विभिन्न प्रकार की राईजिंग/वितरण पाईपलाईन के लीकेज/चैकिंग इत्यादि किये गये कार्य की एवज में करवाये गये भुगतान राशि करीब दस लाख रूपये मे से कमीशन के रूप में बतौर रिश्वत एक लाख रूपये की मांग करना फिर 90000 रूपये बतौर रिश्वत लेने पर सहमत होना तथा उक्त रिश्वत राशि नही देने पर परिवादी के पेण्डिग बिलो के भुगतान के बिल प्रमाणित नही कर अग्रेषित नही करना वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादीगणो से बतौर रिश्वत 90000 रूपये लेकर आपराधिक कृत्य कारित कर जुर्म धारा 7 (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत कारित करना पृथक दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपी श्री सीताराम यादव पुत्र श्री रामनारायण जाति अहीर उम्र 28 वर्ष पेशा नौकरी निवासी डुंगरसी का बास तहसील व पुलिस थाना किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर हाल सहायक अभियंता पी.एच.ई.डी. खण्ड मकराना जिला नागौर के विरूद्व धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

(महिपाल)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
पाली–द्वितीय

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महिपाल, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अभियुक्त श्री सीताराम यादव, सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड-मकराना, नागौर के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 11/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 94-98 दिनांक 14.1.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।